केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार एवं कार्य

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अन्वेषणों के संबंध में अथवा लोक सेवकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों की निगरानी करना तथा इस उत्तरदायित्व का निष्पादन करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश देना ।

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभिकथित रूप से किए गए अपराधों के सम्बन्ध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किए जा रहे अन्वेषण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना ।

- ऐसे किसी भी लेन-देन के मामले में जांच करना अथवा जाँच करवाना जिसमें भारत सरकार के कार्यकारी नियंत्रणाधीन संगठन में कार्यरत लोक सेवक के बारे में संदेह हो कि उसने ऐसा कार्य किसी अनुचित प्रयोजन से अथवा भ्रष्टाचार-पूर्ण तरीके से किया है ।

- सतर्कता सम्बन्धी पहलू वाले अनुशासनिक मामलों में अन्वेषण, जांच, अपील, पुनरीक्षण आदि के विभिन्न चरणों में अनुशासनिक तथा अन्य प्राधिकारियों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सलाह देना ।

- भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों तथा संघ के कार्यकारी नियंत्रण में आने वाले अन्य संगठनों के सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कार्य की सामान्य जांच और निगरानी करना ।

- निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो), निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक तथा इससे उपर के स्तर के अधिकारियों की चयन समितियों की अध्यक्षता करना ।

- जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जाँच करना अथवा करवाना तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करना ।